पत्रांक– 01 / स्टे०–03–20 / 2025 ...33... / रा॰

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोनः 0651–2400981, फैक्सः0651–2400982, ई–मेलः govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषकः

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

राँची दिनांक 12.06.2025

विषयः– **सिमडेगा जिलान्तर्गत CM School of Excellence (पूर्व में एस॰एस॰ +2 उच्च विद्यालय, सिमडेगा) में संचालित आवासीय हॉकी क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र (बालिका) सिमडेगा में आवश्यक कार्य हेतु रू० 44,13,000 / – (चौवालीस लाख तेरह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची के पत्रांक–2021 / साझा, दिनांक– 11.02.2025 के द्वारा प्रेषित किए गए प्रस्ताव एवं सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के आलोक में सिमडेगा जिलान्तर्गत CM School of Excellence (पूर्व में एस॰एस॰ +2 उच्च विद्यालय, सिमडेगा) में संचालित आवासीय हॉकी क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र (बालिका) सिमडेगा में आवश्यक कार्य हेतु रू० 44,13,000 / – (चौवालीस लाख तेरह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त स्वीकृत राशि की विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र०	*जिला*	*योजना का नाम*	*प्रशासनिक स्वीकृत राशि*
1.	**सिमडेगा**	Construction of Shed with Gherabandi on Existing in Residential Girls Hockey Training Center, CM School of Excellence Girls, Simdega.	24,97,500 / –
2.		Replace of Mesh Fencing, Laying Paver and other work of Turf Stadium in Residential Girls Hockey Training Center, CM School of Excellence Girls, Simdega.	19,15,500 / –
		कुल	**44,13,000 / –**

(चौवालीस लाख तेरह हजार सौ) रूपये मात्र।

3. व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–2026 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 4202 – शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– उप मुख्य शीर्ष– 03– खेलकूद तथा युवा सेवा –लघु शीर्ष – 796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना – उप शीर्ष – 21 – खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण, उन्नयन, मरम्मति तथा रख–रखाव – विस्तृत शीर्ष – 05 – निर्माण– प्राथमिक इकाई –45 – निर्माण कार्य इकाई मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा। (विपत्र कोडः 52S 42020379621000545)

4. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे जो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा आवंटित राशि झारखण्ड खेल प्राधिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकारण, राँची विषयांकित योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारिणी समिति, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची का अनुमोदन प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

6. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी निदेशक, साझा आश्वस्त हो लेंगे कि विषयांकित कार्यों में किसी प्रकार का दोहराव / दोहरीकरण नहीं है। किसी भी प्रकार के दोहरीकरण (Duplicacy) के लिए कार्यकारी निदेशक, साझा उत्तरदायी होंगे।

7. निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची द्वारा योजना का कार्यान्वियन पी०डब्लू०डी० कोड के आलोक में विषयांकित योजना से संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सिमडेगा के द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप ही कराया जाय।

8. कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकारण, राँची द्वारा चिन्हित स्थल पर विषयांकित योजना का क्रियान्वयन करने के पूर्व सभी संबंधितों (यदि आवश्यक हो तो) से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेना सुनिश्चत करेंगे।

9. विषयांकित योजना दिनांक–31.03.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना का कार्यान्वियन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा में ही कराया जाएगा ताकि पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े।

11. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरूद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।

12. योजना के कार्यान्वियन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक–17.04.98, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

13. राशि का विचलन कदापि नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

14. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

15. राशि की निकासी प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची से की जायेगी।

16. निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची समय–समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

17. योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।

18. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11/6/25

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :33/रा॰   राँची, दिनांकः 12.06.2025

प्रतिलिपिः– निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/जिला क्रीड़ा पदाधिकारी, सिमडेगा/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/25

सरकार के सचिव